बिहार लोक सेवा आयोग,

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

आवश्यक सूचना

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के अंतर्गत प्रकाशित विज्ञापन संख्या 20/2020 एवं 22/2020 के अंतर्गत साक्षात्कार में शामिल दिव्यांग उम्मीदवारों में से मुक बधिर (DD) दिव्यांग उम्मीदवारों (बिहार एवं अन्य राज्य सहित) को सूचित किया जाता है कि वे अपना दिव्यांगता सम्बन्धित प्रमाण पत्र **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (IGIMS, Patna)** से बनवाकर **दिनांक 22.05.2023** को अनिवार्य रूप से आयोग कार्यालय में जमा करेंगे।

2. विज्ञापन संख्या 20/2020 एवं 22/2020 के अंतर्गत साक्षात्कार में शामिल दिव्यांग उम्मीदवारों में से दृष्टि दिव्यांग (VI) उम्मीदवारों (बिहार एवं अन्य राज्य सहित) को सूचित किया जाता है कि वे अपना दिव्यांगता सम्बन्धित प्रमाण पत्र (दिव्यांगता प्रतिशत सहित) **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (IGIMS, Patna)** से बनवाकर **दिनांक 22.05.2023** को अनिवार्य रूप से आयोग कार्यालय में जमा करेंगे।
3. अन्य दिव्यांग (OH) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होगें। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।) से निर्गत है। यदि किन्हीं अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से निर्गत नहीं है तो वे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से बनवाकर **दिनांक 22.05.2023** को आयोग कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
4. बिहार राज्य से बाहर के स्थायी निवासी दिव्यांग अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में **दिनांक–22.05.2023** को जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त तिथि को प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी प्रभावित होगी एवं सम्बन्धित उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

उक्त उम्मीदवारों की सूची आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित है।

नोटः– वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की निर्गत अवधि 10 वर्षों से अधिक हो चुकी है वे नवीनीकृत कराकर जमा करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना